न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

जी0सी0एम0एस0 सं0 2024/235
पत्रावली सं :: 121/2024/दावा

अजयसिंह वगैरह बनाम हरीसिंह वगैरह

उपस्थित :– 1. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थी/प्रति0सं06 की ओर से।
2. श्री कैलाश स्वामी, अप्रार्थी/वादीगण की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 06-12-24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रति0सं0 6 की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वाद में वादीगण द्वारा मद सं0 1 में एक अधुरी वंशावली जो कि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रसांगिक है, दर्शित करते हुए वाद पत्र की मद सं0 2 में अंकित भूमि को राजस्व रिकार्ड के विपरीत वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 5 की पुश्तैनी भूमियां होना अभिकथित करते हुए वादपत्र की मद सं0 3 व 4 में किये गये अभिवचनों के आधार पर विवादित भूमियां हिन्दू अविभक्त संयुक्त परिवार की भूमियां नहीं होने के बावजूद वाद पत्र की मद सं0 5 में विवादित भूमियों के पूर्ववर्ती खातेदार काश्तकार भंवर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित एंव पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 को भंवर सिंह को मुगालते में रखते हुए निष्पादित एंव पंजीकृत करवाया गया होना अभिकथित करते हुए उक्त मद की उप मद सं0 क से घ में मद सं0 5 में किए गए अभिवचनों से असंगत अभिवचन करते हुए बिना विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति दिये बिना विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 के कायम रहते हुए तथा इस तथ्य की पूर्व में जानकारी होने के बावजूद की वादीगण के जीवित पिता राजेन्द्र सिंह प्रस्तुत वाद के प्रति0सं0 2 द्वारा भी पूर्व से ही की गई मुकदमे बाजी में कोई सफलता उसे नहीं मिल है, के बावजूद विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर वाद पत्र में उप मद क अनुसार मुख्य अनुतोष न्यायालय से चाहा गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

में किए गए अभिवचनों एंव उसके साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमियां भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह के खाते, कब्जे काश्त की भूमियां रही है, जो उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हस्तांतरित कर दी गई। वादीगण ने वाद पत्र में किये गये अभिवचनों के आधार पर विवादित भूमिया 1994 में जब खातेदार भंवरसिह द्वारा बेचान की गई थी। तब वादीगण का जन्म ही नहीं हुआ था। इस कारण वादीगण को पैत्रिकता के आधार पर विवादित भूमियों के निमित किसी कानूनी प्रावधान के तहत कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा न ही वाद पत्र में किए गए अभिवचनों एंव उसके साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि भंवर सिंह की पैत्रिक भूमियां थी। इस कारण वादीगण को नोशनल शेयर के आधार पर वाद दायरी का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। वाद विधि वर्जित है। वादीगण को प्रति0सं0 2 के जीवनकाल में उनके दादा भंवरसिंह द्वारा निष्पादित एंव पंजीकृत करवाए गए विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 को चुनौतिग्रस्त करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में किए गए अभिवचनों के आधार पर यदि खातेदार भंवरसिंह द्वारा विवादित भूमियों के बाबत निष्पादित एंव पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 की वैधता का परीक्षण किया जाना हो तो वह माननीय न्यायालय की श्रवणाधिकार संबंधी अधिकारिता में नहीं है। विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना विक्रय पत्र 22.1.1994 के कायम रहते हुए वादीगण द्वारा पेश किया गया प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। आवेदन पत्र पेश कर वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी/वादीगण ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मद सं0 1 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी /प्रति0सं0 6 दीन सिंह ने आवेदन कानूनी प्रावधानों के विपरित पेश किया है। बिना जवाब दावा पेश किये मात्र काल्पनिक अप्रसांगिक व पुश्तैनी कृषि भूमियां नहीं होने तथा विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दिये जाने के कारण व पूर्व से मुकदमे बाजी का ज्ञान होने का कथन कर यह आवेदन पत्र बिना जवाब दावा पेश किया है तथा आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों का अवलोकन किये यह आवेदन पेश किया है,जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। मद सं0 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने बिना जवाब दावा पेश किये व बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यह कथन अंकित किया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

आवेदन आदेश 7 नियम 22 सीपीसी के तहत तय होने वाला विवाधक नहीं है। प्रार्थी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह साबित करना है कि प्रस्तुत दावा विधि द्वारा बाधित किस आधार पर है। यह भी स्पष्ट है कि खातेदार भंवरसिंह पुत्र गुमान सिंह द्वारा कभी भी भूमियां विक्रय नहीं की गयी है तथा जो विक्रय पत्र पंजीबद्ध होना प्रार्थी बता रहा है वह फर्जी व कूटरचित है, जिसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण व विक्रय पत्र निरस्त का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब भंवर सिंह जो वादीगण का दादा है,उसके द्वारा भूमियां विक्रय ही नहीं की गयी है तथा किया गया विक्रय पत्र नुमाईशी व फर्जी व बिना अधिकार के कूटरचित तैयार किया गया है। प्रश्नगत भूमियों पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण भी वादीगण का नोशनल हिस्सा कब्जा काश्त के आधार पर अवस्थित है। इस कारण वादीगण को दावा अधिकार उद्घोषणा बाबत प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार है। मद सं0 3 जिस प्रकार से लिखी है गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण को बिना जवाब दावा पेश किये व दावे में तनकीयात कायम कर वाद दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य से तनकी कायम होकर तय होने वाला बिन्दु है। इस कारण प्रारम्भिक स्टेज पर विधि द्वारा बाधित बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत भूमियां वादीगण की पुश्तैनी है तथा वादीगण के दादा भंवर सिह द्वारा कभी कोई भूमियां नहीं बेची गई तथा जो विक्रय पत्र प्रार्थी दीनसिंह बता रहा है वह फर्जी व कूटरचित है, उसके लिए सक्षम न्यायालय में कानूनी चाराजोही विचाराधीन है। फिर भी अधिकार उद्घोषणा के लिए दावा सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है तथा जो अनुतोष विक्रय पत्र निरस्ती का है । वह सम्पार्श्विक अनुतोष है जो राजस्व न्यायालय प्रदान कर सकता है,उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस कारण यह दावा विधि द्वारा बाधित नहीं है। प्रार्थी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जो प्रावधान दिये है, उसमें किसी भी प्रावधान का उल्लघंन नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि अधिनियम में (क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है (ख) मूल्याकंन कम किया गया है (ग) न्यायालय के आदेश की पालना न की गयी हो (घ) दावा विधि द्वारा वर्जित है तो ही अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। प्रस्तुत वाद पत्र इससे भिन्न है। इस कारण वादीगण को वाद कारण प्राप्त हुआ है। दावा विधि द्वारा बाधित नहीं है। प्रार्थी ने दावे को लिंगरऑन करने के लिए यह आवेदन पेश किया है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

इस कारण प्रार्थी का यह आवेदन मय खर्चा खारिज होने योग्य है। बहस के दौरान वकील वादीगण ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1998 पेज 200, आरआरटी 2022–23 (एसयूपीपी) पेज 354, डीएनजे 2022 I (रेवे.) 818 एंव आरएलडब्ल्यू 2015 II (रेवे.) 995 पेश किये।

बहस वकील प्रार्थी/प्रति0 सं0 6 सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस पर मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 6 एंव वकील वादीगण ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी तथा जवाब आ0 पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव आवेदन पत्र अन्त0 आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमियां भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह के खाते, कब्जे काश्त की भूमियां रही है, जो उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हस्तांतरित कर दी गई। वादीगण ने वाद पत्र में किये गये अभिवचनों के आधार पर विवादित भूमिया 1994 में जब खातेदार भंवरसिह द्वारा बेचान कर दी गई तब वादीगण का जन्म ही नहीं हुआ था। इस कारण वादीगण को पैत्रिकता के आधार पर विवादित भूमियों के निमित किसी कानूनी प्रावधान के तहत कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा न ही वाद पत्र में किए गए अभिवचनों एंव उसके साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि भंवर सिंह की पैत्रिक भूमियां थी। इस कारण वादीगण को नोशनल शेयर के आधार पर वाद दायरी का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण को प्रति0सं0 2 के जीवनकाल में उनके दादा भंवरसिंह द्वारा निष्पादित एंव पंजीकृत करवाए गए विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 को चुनौतिग्रस्त करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में किए गए अभिवचनों के आधार पर यदि खातेदार भंवरसिंह द्वारा विवादित भूमियों के बाबत निष्पादित एंव पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्र दिनांकित 22.1.1994 की वैधता का परीक्षण किया जाना हो तो वह माननीय न्यायालय की श्रवणाधिकार भी नहीं है। विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना विक्रय पत्र 22.1.1994 के कायम रहते हुए वादीगण द्वारा पेश किया गया प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय प्रार्थी/प्रति0सं0 6 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करना न्यायहित में उचित समझता है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 6 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner